

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. एफ 9-3/2019/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2022

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

---ooo---

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2019/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 02 अगस्त, 2022 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 मई, 2022 (भुगतान माह जून 2022) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 174% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 22% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 अगस्त, 2022 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर		वृद्धि के पश्चात संशोधित मंहगाई राहत की दर	
	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
01 अगस्त, 2022 से (माह अगस्त, 2022 की पेंशन/परिवार पेंशन जो सितम्बर, 2022 में देय होगी)	15%	6%	189%	28%

* 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation)पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण

पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 05-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

6/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

8/ संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पी.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh

Finance Department

Mantralaya- Bhopal

No.- F 9-3 / 2019/Rule/IV

Bhopal, dated 21 September, 2022

To,

All Departments of Government

The President of Board of Revenue, Gwalior

All Commissioners of Divisions,

All Heads of Department,

All Collectors,

Madhya Pradesh

Sub - Revised rate of dearness relief to Pensioners/family pensioners of state of Madhya Pradesh.

The State Government had sanctioned 22% dearness Relief in 7th Pay Scale and 174% in 6th Pay Scale w.e.f. 01 May 2022 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No.F 9-3/2019/Rule/IV dated 02 August, 2022.

2/ The State Government is pleased to sanction the Dearness Relief admissible to pensioners/family pensioners as given below :-

S.No	Date from which payable	Rate of increase in D.R.		Revised rate of D.R. after increase	
		VI th Pay Scale	VII th Pay Scale	VI th Pay Scale	VII th Pay Scale
1.	w.e.f. 01.08.2022 (Pension/family pension for the month of August 2022 paid in September 2022)	15%	06%	189%	28%

* The additional pension payable to the pensioner's aged 80 years or above shall also qualify for dearness relief.

निरंतर

3/ The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retirement Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extraordinary pension subject to the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/r-II/IV dated 05.10.76 . This relief on family pensions shall be payable in such cases, where a person was already in service at the time of the death of the spouse and was not appointed on compassionate grounds. However, this relief on family pension shall not be payable in those cases, where a person has been appointed on compassionate grounds, on account of death of the spouse.

4/ Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5/ This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lumpsum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board / Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 05-01-2007 .

6/ Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

7/ All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the provisions of relevant rules M.P.T.C. 2020

8/ After payment of dearness relief, the same may be got test checked by the Director Pension in bank branches, and if some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment of next months.

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh



(P.K. Shrivastava)
Deputy Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department

प्रतिलिपि:

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर (100 प्रतियां) ।
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा / अभिलेख/ मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल ।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल ।
17. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ ।
18. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवन मण्डी बोर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011.
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
22. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्ट्स डिपार्टमेण्ट्स, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051, (100 प्रतियां)
23. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-6, मैदामिल के सामने, भोपाल -462012, (10 प्रतियां)
24. उप महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, 5-यशवंत निवास रोड, इंदौर -452001, (10 प्रतियां)

25. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जो, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011, (300 प्रतियां)
26. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (200 प्रतियां)
27. उप मुख्य प्रबंधक, , सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, बम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.ई.रोड, रायपुर-492001, (100 प्रतियां)
28. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल-462011 (75 प्रतियां)
29. चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011, (300 प्रतियां)
30. सहायक मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, रीजनल ऑफिस, 107, प्रथम तल, बैरसिया रोड, भोपाल-462001, (200 प्रतियां)
31. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , रीजनल आफिस, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-**462011**, (150 प्रतियां)
32. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आरसीसी 1/4 जेल रोड एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल -462011, (45 प्रतियां)
33. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-**462016**, (**150 प्रतियां**)
34. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर,गोविन्दपुरा, भोपाल -462024 (10 प्रतियां)
35. क्षेत्रीय प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक,सर्कल आफिस,**20 स्नेहनगर,इन्दौर-452001(65 प्रतियां)**
36. क्षेत्रीय प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक,सर्कल आफिस,1227 नेपीयर टाऊन,जबलपुर-**482001(65 प्रतियां)**
37. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक,सर्कल आफिस,मदीना मंजिल,कचहरी चौक,जेलरोड,रायपुर **492001 (65 प्रतियां)**
38. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय, 12-12ए, अनूपनगर, एल.आई.सी.बिल्डिंग,एम.आई.जी.चौराहा, इन्दौर-452001 (55 प्रतियां)
39. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय, गुरूनानक मार्केट ज्योति टाकीज के पास,नेपियर टाऊन जबलपुर-482001 (55 प्रतियां)

40. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सिरमोर चौराहा, इलाहबाद रोड, पोस्ट बाक्स नम्बर-10, रीवा-486001 (60 प्रतियां)
41. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट बाक्स नम्बर 23 महावीर काम्पलेक्स, के.के. रोड, मौधपाड़ा, रायपुर (छत्तीसगढ़) (40 प्रतियां) की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 41 हेतु) ।
42. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात-382 010
43. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद-500 001
44. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
45. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
46. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
47. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039
48. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चैन्नई, 600 018
49. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
50. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
51. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
52. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160017
53. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
54. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
55. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
56. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
57. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता, 700 001
58. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मिर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
59. वित्त सचिव, मणिपर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
60. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
61. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
62. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
63. वित्त सचिव, गोवा-दिव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
64. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001

65. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, दन्तक, 717 101
66. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादुन-248 001(सरल क्रमांक 42 से 66 तक 2 प्रतियों सहित)
67. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लॉक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001 (100 प्रतियां)
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, राजकोट 360 001 (100 प्रतियां)
69. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (250 प्रतियां)
70. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (50 प्रतियां)
71. खाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001(20 प्रतियां)
72. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मणीपूर, इम्फाल 795 001 (20 प्रतियां)
73. प्रधान महालेखाकार,-2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001(75 प्रतियां)
74. प्रधान महालेखाकार,-1, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834 002 (35 प्रतियां)
75. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695 039 (240 प्रतियां)
76. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैन्नई, 600 018 (150 प्रतियां)
77. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैन्नई , 600 018 (100 प्रतियां)
78. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड ,मुंबई , 400 020 (100 प्रतियां)
79. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001(100 प्रतियां)
80. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002(150 प्रतियां)
81. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)उडिसा, भुवनेश्वर, 751 001 (150 प्रतियां)
82. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 (70 प्रतियां)
83. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 बी चंडीगढ़, 160 047 (60 प्रतियां)
84. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां)

85. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001 (200 प्रतियां)
86. महालेखाकार -3, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 (50 प्रतियां)
87. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 (200 प्रतियां)
88. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001(200 प्रतियां)
89. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) जम्मू एवं काश्मिर, श्रीनगर, 190 001 (50 प्रतियां)
90. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001 (25 प्रतियां)
91. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001 (50 प्रतियां)
92. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिक्किम, लकार भवन, गान्तोक 717101 (20 प्रतियां)
93. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड, देहरादून 248 001 (200 प्रतियां)
94. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्विप, पो, पणजी 403 101 (15 प्रतियां)
95. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
96. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006 (30 प्रतियां)
97. सहायक मिलीट्री एटेंची (पेंशन) भारतीस दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल -1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी 2) ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां)।
98. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 महालेखाकार ग्वालियर के माध्यम से (10प्रतियां)
99. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
100. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां)
101. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ, रायपुर, 492 001 (200 प्रतियां)
102. मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, डी-12 माचना कालोनी 6 नंबर स्टाप के पास शिवाजी नगर, भोपाल ।


(विवेक कुमार धारू)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग